

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ अधिसूचना ॥


पटना-15, दिनांक-12-7-17

संख्या-14/प्रो० 104/17 सा०प्र०- 8511/ बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव स्तर (पे-बैंड ₹ 15,600-39,100/-, ग्रेड पे ₹ 6,600/-), के निम्नांकित 02 पदाधिकारियों को अपर समाहर्ता/समकक्ष स्तर (पे-बैंड ₹ 15,600-39,100/-, ग्रेड पे ₹ 7,600/-) में उनके नाम के समक्ष कंडिका-4 में उल्लिखित तिथि से वैचारिक प्रोन्नति दी जाती है:-

| क्र० सं० | पदाधिकारी का नाम | 2011 का कोटि क्रमांक | वैचारिक प्रोन्नति की तिथि | वर्तमान पदस्थापन |
|----------|--------------------------|----------------------|---------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | मो० गुफरान अहमद | 231 | 29-11-10 | सेवा निवृत्त। |
| 2 | श्री इम्तियाज अहमद करीमी | 571 | 23.06.16 | निदेशक, उर्दू निदेशालय, मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना। |

- यह प्रोन्नति औपबंधिक है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० (सी०) संख्या-29770/2015, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगी।
- श्री करीमी को पदभार ग्रहण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देय होगा।
- वित्त विभागीय परिपत्र सं०-3637 दिनांक-10.04.2013 की कंडिका-2 के आलोक में प्रोन्नति की तिथि से अथवा वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण कराने के संबंध में महालेखाकार, बिहार / वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को एक माह के अन्दर विकल्प देना आवश्यक होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(भीम प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक 14/प्रो० 104/17 सा०प्र०- 8511/

पटना-15, दिनांक-12-7-17

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, मंत्रीमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित पदाधिकारी / प्रबंधक, आई० टी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु /सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के सभी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 12 एवं चारित्री कोषांग, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।